दिनांक	टी०ए० मिस केस सं० 145/2019-20	
	टादेश	अभ्युक्ति

07/09/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **राजा डुबलिया सुरीन, पिता– स्व० सालुका सुरीन,** ग्राम– **शारदा,** थाना– **मुफ्फासिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **शारदा,** थाना– **66,** खाता नं०– **131,** क्रमशः प्लॉट– **49,50,51,52,53,54,56,** क्रमशः रकवा– **0.15, 0.21, 0.22, 0.08, 0.013, 0.08, 0.15** एकड़, कुल रकवा– **1.02** एकड़ भूमि क्रेता **जितेन्द्र बानरा, पिता– स्व० सिकुर बानरा,** ग्राम– बुरूजल, थाना– मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, **खुँटपानी** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के स्वंय के नाम पर खातियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।**

अंचल अधिकारी, **खुँटपानी** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– **1123,** दिनांक–. **23.08.2019** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीमारी का ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **जितेन्द्र बानरा, पिता– स्व० सिकुर बानरा,** ग्राम– बुरूजल, थाना– मुफ्फासिल, के पास० **2,00,000.00/–(दो लाख)** रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फासिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **5.00** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, **खुँटपानी** एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **राजा डुबलिया सुरीन, पिता– स्व०** सालुका सुरीन ग्राम– शारदा क्रेता **जितेन्द्र बानरा, पिता– स्व० सिकुर बानरा,** ग्राम– बुरूजल, थाना– मुफ्फासिल के पास **2,00,000.00/–(दो लाख)** रूपये मे मौजा– **शारदा,** थाना– **66,** खाता नं०– **131,** क्रमशः प्लॉट – **49,50,51,52,53,54,56,** क्रमशः रकवा– **0.15, 0.21, 0.22, 0.08,** ~~0.013,~~ 0.13 **0.08, 0.15** एकड़, कुल रकवा– **1.02** एकड भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति..........दी जाती है।

लेखापित।

(हस्ताक्षर) 7/9/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

(हस्ताक्षर) 7/9/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner